न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते. (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 15/2020 आ.नि.

उनवान

1. श्री रामेश्वर पिता मांगू कुम्हार निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

बनाम

1. रामलाल पिता मांगू कुम्हार निवासी बोरड़ा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—गैर निगराकार

—— निगराकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्तीकरण नियम, 1970 विरूद्ध ग्राम बोरड़ा तहसील शाहपुरा की आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर बाबत् हुए आवंटन दिनांकित 24.11.2011 के निरस्ती बाबत।

उपस्थित :— 1. श्री गोपाल अजमेरा — अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री बी0एल0 बापना — अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. गैर निगराकार संख्या 02 की ओर से विभागीय प्रतिनिधी।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

निर्णय दिनांक 27.09.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन निरस्तीकरण नियम 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा तहसील–शाहपुरा की सरहद में प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदार के हक अधिकार आधिपत्य की आराजी नं. 956 रकबा 0.76 हैक्टेयर, आराजी नं. 958 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नं. 942 रकबा 0.68 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी आराजियात से लगती हुई बिलानाम आराजी नं. 957 भूमि स्थित थी जिस पर प्रार्थी का कब्जा काफी लम्बे समय से लगभग 40 वर्षों से चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नं. 956, 958, 942 से लगती हुई बिलानाम आराजी सं. 957 जो प्रार्थी के कब्जे में चली आ रही है जिसको प्रथमतः आवंटन कराने का अधिकारी प्रार्थी है लेकिन आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों ने विपक्षी सं. 1 से मिलाभगती कर उक्त आराजी नं. 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि अपने स्वयं के नाम पर नियमों के विपरीत आवंटित करवा ली। आवंटन पूरी तरह विधि विरूद्ध नियमों के विरूद्ध हुआ है। इस कारण विपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन अपास्त होने योग्य है। विपक्षी सं. 1 ने तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन करवाया है। इसके अलावा भी आवंटित आराजी उद्घोषित आराजी नहीं है। विपक्षी संख्या 1 भूमि काश्तकार नहीं है इस कारण विपक्षी संख्या 1 को किया गया आवंटन अपास्त कराया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी किये गये एवं आवंटन पत्रावली को तलब किया गया । विपक्षी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री बी0एल0 बापना ने दिनांक 07.05.2018 को अधिकार पत्र पेश कर दिनांक 11.06.2018 को प्रकरण में जवाब प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

विपक्षी संख्या 01 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया कि ग्राम बोरड़ा में स्थित आराजी संख्या 942, 956, 958 प्रार्थी विपक्षी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज अवश्य है, किन्तु इनका विभाजन सहखातेदारान के मध्य नहीं हुआ है। उक्त वर्णित आराजियात प्रार्थी के अकेले के नाम पर दर्ज ही नहीं है तो प्रार्थी का यह कहना गलत है कि इन आराजियात से लगती हुई बिलानाम आराजी नं. 957 पर प्रार्थी का कभी कब्जा रहा हो। इस बिलानाम आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर पर कई वर्षों से मुझ विपक्षी का ही कब्जा चला आ रहा था जिसके बाबत मुझ विपक्षी के विरूद्ध धारा 91 एल.आर. एक्ट की कार्यवाही चली थी, सबूत में धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिसों की प्रतियां पेश की है। मुझ विपक्षी ने आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों से कोई भी मिलाभगती नहीं की है और न ही नियमों के विपरीत आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 है. भूमि का आवंटन कराया है। प्रार्थी इस भूमि को आवंटित कराने की पात्रता नहीं रखता है बल्कि इस भूमि को हजारों रूपयों की लागत लगाकर विपक्षी ने ही काबिल काश्त बनाया है। मैं विपक्षी भूमिहीन काश्तकार हूँ एवं प्रार्थी मेरा सगा भाई है किन्तु वह मुझसे द्वेषता रखता है । उसने हमारी माताजी हगामीबाई और बहिनों नंदू व चन्ता को बहकाकर हमारी पुश्तैनी पैतृक आराजियात में से उनके हिस्से की भूमि का हकत्याग अपने पक्ष में करा लिया है और अब वह मुझे विधिक रूप से आवंटित की गयी उक्त भूमि आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 है. को भी नाजायज रूप से हड़पना चाहता है।

विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में आगे बताया कि बिलानाम आराजी नं. 957 रकबा 0.40 है. भूमि वाके ग्राम बोरड़ा पर मुझ जवाबदाता विपक्षी संख्या 1 का कई वर्षों से कब्जा चला आ रहा था और इस भूमि को मुझ विपक्षी ने ही हजारों रूपयों की लागत लगाकर काबिल काश्त बनाया है जिससे आवंटन सलाहकार समिति ने मुझ विपक्षी के कब्जे व पात्रता को मद्देनजर रखकर उक्त भूमि मुझे दिनांक 24.11.2011 को विधिवत तौर से आवंटित की थी। आवंटन के पूर्व व आवंटन के पश्चात् अब तक मुझ विपक्षी का ही कब्जा इस भूमि पर निरंतर चला आ रहा है । आवंटन के पश्चात् यह भूमि नामान्तरकरण सं. 728 दिनांक 19.04.2012 से मुझ विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी हक से दर्ज की गयी थी। आवंटन शर्तों की पूर्णतया पालना करने से एवं कब्जे की पूरी जांच करके ही अधिकारियों ने इस भूमि को मेरे नाम पर नामान्तरकरण संख्या 1012 दिनांक 06.06.2016 से गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की है। खातेदारी मिलने के बाद नियम 14 (4) आवंटन रूल्स के प्रावधान प्रभावहीन हो जाते हैं जिससे प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र जो कि दिनांक 07.03.2018 को पेश किया गया था वह कानूनन पोषणीय नहीं होने से सव्यय निरस्तनीय है ।

विपक्षी का जवाब प्राप्त होने के उपरान्त पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी सं. 1 ने यह आवंटन फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन से कराया है जिससे उसे किया गया भूमि आवंटन निरस्त कराया जावे ।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 1 रामलाल का आराजी नं. 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर पर कई वर्षों से अतिक्रमण चला आ रहा था जिसकी पुष्टि में धारा 91 एल.आर.एक्ट के नोटिसों की प्रतियां, खसरा गिरदावरी की प्रतियां, नामान्तरकरण संख्या 728 व 1012 की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में प्रस्तुत की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी साक्ष्य में स्वयं विपक्षी रामलाल व गवाह रज्जाक पिता सालू खां पठान निवासी बोरड़ा के शपथपत्र पेश किये जिन्होंने इस आवंटित भूमि पर निरंतर कब्जा रामलाल का ही होना बताया है, इसके खण्डन में प्रार्थी पक्ष की ओर से साक्ष्य में कोई भी शपथपत्र और अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है ।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलबाड़ा

विपक्षी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्तागण ने अपनी बहस में यह भी तर्क दिया कि विपक्षी संख्या 1 रामलाल को आराजी संख्या 957 का वर्ष 2011 में आवंटन किया गया था, जिससे नामान्तरकरण संख्या 728 दिनांक 19.04.2012 से उक्त आराजी विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी से दर्ज की गयी थी और आवंटन नियमों की पूरी पालना करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1012 दिनांक 06.06.2016 से उक्त आराजी विपक्षी के नाम पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक दर्ज की गयी। आवंटित भूमि में खातेदारी अधिकार मिल जाने के बाद आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है । अपने तर्क की पुष्टि में विपक्षी अधिवक्तागण ने न्यायिक दृष्टान्त **2016 RBJ 102 एवं 2019 RBJ 77** प्रस्तुत किये जिनमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि –

'After conferment of Khatedari rights on allotted land , allotment of land cannot be cancelled under these rules.'

पक्षकारान की प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिसों की प्रतियां पेश की है जिसके अनुसार बिलानाम आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर पर विपक्षी संख्या 01 रामलाल का ही कब्जा होना प्रतीत होता है और इसी कारण से आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विपक्षी संख्या 01 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। साथ ही उक्त आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर नामान्तरकरण संख्या 1012 दिनांक 06.06.2016 द्वारा विपक्षी संख्या 01 के नाम पर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो चुकी है जिससे उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में विपक्षी संख्या 01 को किया गया उक्त आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत कानूनन पोषणीय नहीं होने व आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। अतएव–

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 आधारहीन होने व कानूनन पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है और विपक्षी संख्या 01 श्री रामलाल पिता मांगू कुम्हार निवासी बोरड़ा को ग्राम बोरड़ा पटवार हल्का बोरड़ा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 957 रकबा 0.40 हैक्टेयर बाबत् हुआ आवंटन दिनांकित 24.11.2011 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.09 .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिव प्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर ,
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा